



स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

F.NO.1-6/Renewal/2021-INC

Dated- 04 MAR 2022

NOTIFICATION

Sub:- Last date for uploading the Compliance report by the Institutions where suitability is not extended is 21st March, 2022.

The last date of uploading of compliance report along with the documents and rectification of the deficiencies pointed for the year 2021-22 for Renewal of Suitability under Section 13 and 14 of the INC Act will be **21st March, 2022** via online mode through INC website www.indiannursingcouncil.org (under Institute login placed at S.No 1) under compliance menu in same Application ID. INC shall not accept any compliance report after the due date and also take necessary action under Section 13 and 14 of the INC Act, 1947, if required.

Yours faithfully,

Lt Col (Dr) Sarvjeet Kaur
Secretary

Copy forwarded to:-

1. Registrar, All State Nursing Councils
2. Principals, School/College of Nursing
3. INC website

उपचर्या शिक्षा के एकसमान मानक प्राप्त करने के लिए प्रयासरत
Striving to Achieve Uniform Standards of Nursing Education

Website: www.indiannursingcouncil.org E-mail: secy.inc@gov.in

Phone: 011-66616800, 66616821, 66616822

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

एफ संख्या 1-6/नवीकरण/2021-आईएनसी

दिनांक: 04 मार्च, 2022

अधिसूचना

विषय:- जिन संस्थानों की उपयुक्तता का नवीनीकरण नहीं किया गया है, उनके द्वारा अनुपालन रिपोर्ट अपलोड करने की अंतिम तिथि 21 मार्च, 2022 है।

भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 13 और 14 के तहत उपयुक्तता के नवीनीकरण के लिए शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए इंगित की गई कमियों के दस्तावेजों और सुधार के साथ अनुपालन रिपोर्ट क्रमांक 1 पर दिए गए संस्थान लॉग-इन के तहत भारतीय उपचर्या परिषद् वेबसाइट www.indiannursingcouncil.org पर ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि 21 मार्च, 2022 होगी, जो उसी Application ID में Compliance Menu के तहत रखा गया है। भारतीय उपचर्या परिषद् नियत तिथि के बाद किसी भी अनुपालन रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करेगा और आवश्यकता पड़ने पर भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 13 और 14 के तहत आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।

भवदीया,

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ) सर्वजीत कौर
सचिव
भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रतिलिपि:

1. सभी राज्य उपचर्या परिषदों के रजिस्ट्रार
2. सभी स्कूल/कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्रधानाचार्य
3. आईएनसी वेबसाइट

उपचर्या शिक्षा के एकसमान मानक प्राप्त करने के लिए प्रयासरत
Striving to Achieve Uniform Standards of Nursing Education

Website: www.indiannursingcouncil.org E-mail: secy.inc@gov.in
Phone: 011-66616800, 66616821, 66616822